

# मैन्यूफैक्चर एण्ड अदर ऑपरेशन्स इन स्पेशल वेयर हाउस रेग्युलेशन्स, 2020

अधिसूचना सं.75/2020-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 17 अगस्त, 2020

सा.नि.का. (अ) .- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 65 के साथ पठित धारा 157, 58 क, 143कक, के तहत, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:-

**1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.-** (1) इन विनियमों को मैन्यूफैक्चर एण्ड अदर ऑपरेशन्स इन स्पेशल वेयर हाउस रेग्युलेशन्स, 2020 कहा जाएगा।  
(2) ये विभिन्न सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

**2. परिभाषा.-** (1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यक अभिप्रेत न हों, -  
(क) 'अधिनियम' से अभिप्राय सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) से है;  
(ख) बंधपत्र अधिकारी से अभिप्राय किसी वेयरहाउस के प्रभारी सीमाशुल्क अधिकारी से है;  
(ग) "प्रमाणीकरण प्राधिकारियों के नियंत्रक" से अभिप्राय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 17 की उपधारा (1) के अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारी से है;  
(घ) "फार्म" से अभिप्राय इन विनियमों में परिशिष्ट फार्म से है;  
(ङ) "धारा" से अभिप्राय इस अधिनियम की धारा से है।

(2) शब्द एवं अभिव्यक्तियों, जो कि इस विनियम में प्रयुक्त तो हैं लेकिन यहां उनको परिभाषित नहीं किया गया है, का अर्थ वही हो या जो इनके लिए क्रमशः उक्त अधिनियम में दिया गया है।

**3. प्रावधान.-** ये विनियम उन इकाईयों पर लागू होंगे, -  
अधिनियम की धारा 58 क के तहत किसी लाइसेंसधारी वेयरहाउस में -

- जो कि इस अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत कार्यरत हों, या
- उन इकाईयों पर लागू होंगे जिन्होंने इस अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत कार्य करने के लिए अनुमति हेतु आवेदन किया हो,

**4. इन विनियमों के अंतर्गत कारोबार करने के लिये आवेदन हेतु पात्रता.-** (1) निम्नलिखित प्रकार के व्यक्ति इन विनियमों के अंतर्गत कारोबार करने के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, -

- जो व्यक्ति अधिसूचना सं. 66/2016-सीमाशुल्क (गै.टे.) के उपवाक्य (1) में दी गई सूची में उल्लिखित वस्तुओं (एतश्मिन पश्चात् जिसे विशिष्ट वस्तुओं से संदर्भित किया गया है) की वेयरहाउसिंग के लिये उक्त अधिनियम की धारा 58 क के अंतर्गत लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहा हो और साथ में ही इसी अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत वेयरहाउस में विनिर्माण या अन्य प्रकार्यों के लिए आवेदन कर रहा हो; या
- ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे स्पेशल वेयरहाउस लाइसेंसिंग रेग्युलेशन्स 2016 के अनुसार, विशिष्ट वस्तुओं की वेयरहाउसिंग के लिए उक्त अधिनियम की धारा 58क के अंतर्गत लाइसेंस दिया गया है।

(2) इन विनियमों के अंतर्गत कारोबार करने के लिए कोई भी आवेदन प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के पास किया जाएगा और साथ में ही निम्न बात के लिए अंडरटेकिंग भी देनी पड़ेगी-

- वस्तुओं को प्राप्त करने और उसको वहां से हटाकर ले जाने से संबंधित डिजिटल फार्म में ऐसा हिसाब-किताब जिसे विनिर्दिष्ट किया गया हो और जिसे मासिक आधार पर "डिजिटल फार्म" में बंध-पत्र अधिकारी के पास प्रस्तुत किया जा सके;
- इन विनियमों के अंतर्गत यथा आवश्यक सुविधाओं उपकरणों और कर्मचारियों को उपलब्ध कराना;
- ऐसे रूप में बंध-पत्र भरना जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए;

- (iv) इस प्रकार से और उतनी धनराशि की प्रत्याभूति जमा करना जिस प्रकार से और जितनी धनराशि के लिए उसे विनिर्दिष्ट किया जाए;
- (v) कच्चे माल और अंतिम उत्पाद से संबंधित इनपुट-आउटपुट नार्म के बारे में बताना और उसमें यदि कोई परिवर्तन हुआ हो तो इस प्रकार संशोधित इनपुट-आउटपुट नार्म के बारे में बताना;
- (vi) सीमाशुल्क के अधिकारियों वेयरहाउस की गई निगरानी सेवा के लिए लागत वसूली आधार पर या समयोपरि आधार पर, जैसा भी प्राधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा निर्धारित किया जाए, भुगतान करना; और
- (vii) ऐसी शर्तों और दशाओं को पूरा करना, जिन्हें प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

5. **अनुमति का दिया जाना.**- विनियम 4 के उप विनियमन के अनुसार दिये गये आवेदन का विधिवत सत्यापन करने के पश्चात और स्वयं को इस बात से संतुष्ट पाने के बाद कि विनियम 4 और स्पेशल वेयरहाउस लाइसेंस रेग्युलेशन्स, 2016 के अनुसार सभी अपेक्षित आवश्यकताएं पूरी हों गयी हैं, प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, इन विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत कारोबार करने के लिए अनुमति दे सकता है, और साथ ही जहां भी जरूरी हो उक्त अधिनियम की धारा 58क के अंतर्गत लाइसेंस भी दे सकता है, बशर्ते कि ऐसी शर्तें जिन्हें जरूरी समझा जाए, पूरी होती हों।

6. **अनुमति की वैधता.**- विनियम 5 के अंतर्गत दी गयी किसी भी अनुमति, यदि इसे रद्द नहीं किया जाता है या इसको वापस नहीं किया जाता है अथवा धारा 58 क के अंतर्गत जारी लाइसेंस को रद्द नहीं किया जाता है या वापस नहीं किया जाता है तो, इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके अंतर्गत बनाए गये विनियमों के अनुसार वैध रहेगी।

7. **वेयर हाउस कीपर की नियुक्त.**- (1) ऐसा व्यक्ति जिसको कि विनियम 5 के अंतर्गत अनुमति दी गयी हो अपनी ओर से काम करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को वेयरहाउस कीपर नियुक्त करेगा जिसको कि वेयरहाउसिंग के कामकाज और सीमाशुल्क की प्रक्रियाओं के बारे में पर्याप्त अनुभव हो।  
(2) ऐसा वेयरहाउस कीपर इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गये नियमों और विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के लिए अभिप्रमाणन प्राधिकारियों के द्वारा लाइसेंस प्राप्त प्राधिकारियों से डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करेगा।

8. **सुविधाएं, उपकरण और कर्मचारी.**- ऐसा व्यक्ति जिसे विनियम 5 के अंतर्गत अनुमति दी गई है, वेयरहाउस पर निम्नलिखित को उपलब्ध करायेगा-

- (i) ऐसे संकेतक जिससे यह प्रकट हो कि ऐसा स्थल या भवन कस्टम्स बांडेड वेयरहाउस है;
- (ii) रसीद, भण्डारण, प्रचालन और माल को ले जाने से संबंधित कम्प्यूटराइज्ड व्यवस्था;
- (iii) दरवाजे, खिड़कियों और भवन के अन्य घटक जो कि निर्माण में काम आए हों;
- (iv) वेयरहाउस में रखे गये विशिष्ट माल के लिए स्ट्रांग रूम;
- (v) ऐसी सुविधा जिससे कि बंध-पत्र अधिकारी वेयरहाउस और स्ट्रांग रूम को लाक कर सके;
- (vi) बंध-पत्र अधिकारी के कार्यक्रम के लिए पर्याप्त स्थान;
- (vii) पर्याप्त कर्मचारी, उपकरण और स्थान जिससे कि सीमाशुल्क अधिकारी सामान की जांच कर सके;
- (viii) ऐसी अन्य सुविधाएं, उपकरण और कर्मचारी जिससे वेयरहाउस तक पहुँच को नियंत्रित रखा जा सके, इसमें माल का भण्डारण सुरक्षित रखा जा सके और सीमाशुल्क अधिकारियों के द्वारा इन विनियमों को अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

9. **स्ट्रांग रूम.**- (1) ऐसे विशिष्ट माल को छोड़कर जिनपर शुल्क लगता हो, अन्य कुछ भी माल स्ट्रांग रूम में नहीं रखा जाएगा।

(2) बंध-पत्र अधिकारी स्ट्रांगरूम में ताला लगवायेगा और बंध-पत्र अधिकारी की उपस्थिति के बिना कोई भी व्यक्ति न तो स्ट्रांग रूम में प्रवेश कर सकता है, न माल को जमा कर सकता है और न ही वहां से माल हटा सकता है।

(3) वेयरहाउस कीपर, जैसे और जहां बंधपत्र अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों, और कम से कम 6 माह में एक बार बंधपत्र अधिकारी को उपस्थिति में, स्ट्रांग-रूम में रखे गये माल की प्रत्यक्ष जांच करेगा और यह बताएगा कि:-

- (i) स्ट्रांग रूम में रखे गये विशिष्ट माल का प्रत्यक्ष भण्डार रिकॉर्ड में दर्ज भण्डार से मेल खाता है या नहीं, और
- (ii) स्ट्रांग रूम से क्लीयर हुए विशिष्ट माल या तो 'वर्क-इन-प्रोग्रेस' की स्थिति में है, या इसका अनुमति प्राप्त विनिर्माण में प्रयोग हुआ है, या इसका ऐसे ही स्थिति में निर्यात कर दिया गया है, यथा घरेलू बाजार में इसको ऐसे ही 'क्लीयर' कर दिया गया है।
- (4) वेयर हाउस कीपर और बंधपत्र अधिकारी स्टॉक के संक्षिप्त विवरण पर हस्ताक्षर करकी उसके प्रतिलिपि तैयार करायेंगे और एक एक प्रतिलिपि अपने रिकॉर्ड में रखेंगे।
- (5) जहां इस विनियम के अंतर्गत स्टॉक को लेने के दौरान कोई विषंगति नजर आती है तो बंधपत्र अधिकारी सरकारी राजस्व की सुरक्षा की दृष्टि से यथोचित कार्रवाई करेगा।

**10. माल के परिवहन संबंधी शर्तें.-** (1) जहां कि माल का परिवहन किसी आयात सीमाशुल्क स्टेशन से किसी वेयरहाउस तक या एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस तक या किसी वेयरहाउस से किसी निर्यात सीमाशुल्क स्टेशन तक हो रहा हो तो परिवहन के साधन के लोड कम्पार्टमेंट के वन-टाइम-लॉक से सुरक्षित 'सील्ड' किया जाना चाहिए।

बशर्ते कि प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, माल की प्रकृति को देखते हुए या परिवहन के तरीके को देखते हुए, बिना वन-टाइम-लॉक के लगाये, ऐसे माल के परिवहन के लिए अनुमति दे सकता है।

(2) जहां कि उस माल को, जिसको कि वेयरहाउस में रखा जाना हो, हटाया जा रहा हो, वहां उप विनियम (1) के अनुसार लगाया जाने वाला 'वन-टाइम-लॉक' यथोचित सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा ही लगाया जाएगा।

(3) जहां कि वेयरहाउस में रखे गये माल को एक वेयरहाउस से हटाकर दूसरे वेयरहाउस में ले जाया जा रहा हो, वहां उप विनियम, (1) के अंतर्गत लगाया जाने वाला 'वन-टाइम-लॉक' बंधपत्र अधिकारी की उपस्थिति में लगाया जाएगा।

(4) जहां वेयरहाउस में रखा माल, वेयरहाउस से किसी निर्यात सीमाशुल्क स्टेशन तक हो रहा हो, वहां उपविनियम (1) के अनुसार 'वन-टाइम-लॉक' बंधपत्र अधिकारी की उपस्थिति में लाइसेंसी के द्वारा लगाया जाएगा।

**11. कस्टम्स स्टेशन से माल की प्राप्ति.-** (1) लाइसेंसी बंधपत्र अधिकारी की अनुपस्थिति में न तो कोई माल प्राप्त करेगा न ही वेयरहाउस पर किसी माल को उतारने की अनुमति ही देगा।

(2) किसी कस्टम्स स्टेशन से प्राप्त माल को जमा करने के लिए बंधपत्र अधिकारी की अनुमति के मिल जाने पर लाइसेंसी:-

- (i) वेयरहाउस तक माल को लाने वाले वाहन के लोड कम्पार्टमेंट में कस्टम्स स्टेशन पर यथोचित अधिकारी के द्वारा लगाए गए 'वन-टाइम-लॉक' का सत्यापन करेगा;
- (ii) यदि 'वन-टाइम-लॉक' सही नहीं पाया जाता है तो वह तत्काल इसकी सूचना बंधपत्र अधिकारी को देगा और माल को उतरवाने से इन्कार कर देगा;
- (iii) माल के उतारने की अनुमति देगा बशर्ते की 'वन-टाइम-लॉक' सही पाया गया तो और प्राप्त माल की मात्रा का वेयरहाउसिंग के बिल ऑफ एन्ट्री के साथ मिलान करके सत्यापन करेगा;
- (iv) यदि माल की मात्रा में कोई विषंगति पायी जाती है तो तत्काल इसकी सूचना बंधपत्र अधिकारी को देगा;
- (v) प्राप्त माल की मात्रा के साथ-साथ वेयरहाउस के बिल ऑफ एन्ट्री को पृष्ठांकित करेगा और उसकी एक प्रति अपने पास रखेगा;
- (vi) माल के वाहक के द्वारा प्रस्तुत परिवहन कागजातों को पृष्ठांकित करके माल की रसीद देगा और उसकी एक प्रति अपने पास रखेगा;
- (vii) प्राप्त माल को रिकॉर्ड में दर्ज करेगा; और
- (viii) जहां कि माल ऐसे विशिष्ट प्रकार का हो और उसपर ड्यूटी लगायी जाती हो तो यह ऐसे माल को स्ट्रांग रूम में जमा करेगा।

(3) वेयरहाउस में आये माल को रिकॉर्ड में दर्ज करने के पश्चात लाइसेंसी धारा 60 की उपधारा (1) में सदर्भित यथोचित अधिकारी को और बंधपत्र अधिकारी को वेयरहाउस में आये ऐसे माल के बारे में पावती भिजवायेगा।

**12. किसी दूसरे वेयरहाउस से माल की प्राप्ति.-** (1) लाइसेंसी बंधपत्र अधिकारी की अनुपस्थिति में वेयरहाउस में न तो कोई माल स्वीकार करेगा और न ही उसको उतारे जाने की अनुमति देगा।

(2) किसी दूसरे वेयरहाउस से आये माल को जमा किये जाने के लिए बंधपत्र अधिकारी की अनुमति मिलि जाने के बाद लाइसेंसी, -

- (i) वेयरहाउस तक माल को लाने वाले वाहन के लोड कम्पार्टमेंट में लगे 'वन-टाइम-लॉक' का सत्यापन करेगा;
- (ii) यदि 'वन-टाइम-लॉक' सही नहीं पाया जाता है तो वह तत्काल बंधपत्र अधिकारी को इसकी सूचना देगा और माल को उतरवाने से मना कर देगा;
- (iii) माल को उतारने की अनुमति देगा, बशर्ते कि 'वन-टाइम-लॉक' सही पाया जाता है और निम्नलिखित से मिलान करके माल की मात्रा का सत्यापन करेगा-

(क) यदि माल किसी ऐसी ईकाई से प्राप्त हुआ है, जो इस अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत कार्यरत है, तो इन विनियमों के परिशिष्ट में दिये गये फार्म;

(ख) यदि माल किसी ऐसी ईकाई से प्राप्त हुआ हो जो कि इस अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत कार्यरत नहीं है तो वेयरहाउस गुड्स (रिमूवल) रेग्युलेशन्स, 2016 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट फार्म;

- (iv) यदि माल की मात्रा में कोई विषंगति पायी जाती है तो तत्काल इसकी सूचना बंधपत्र अधिकारी को देगा;
- (v) वेयरहाउस से प्राप्त माल की मात्रा को माल स्थानांतरण के फार्म को पृष्ठांकित करेगा और उसकी एक प्रति अपने पास रखेगा;
- (vi) माल के वाहक के द्वारा प्रस्तुत परिवहन कागजातों को पृष्ठांकित करके माल की रसीद देगा और उसकी एक प्रति अपने पास रखेगा;
- (vii) प्राप्त माल को रिकॉर्ड में दर्ज करेगा; और
- (viii) जहां कि ड्यूटी लगने वाला माल विशिष्ट प्रकार का माल हो, ऐसे माल को स्ट्रांग रूम में जमा करेगा।

(3) वेयरहाउस में आये माल को रिकॉर्ड में दर्ज करने के पश्चात लाइसेंसी धारा 60 की उपधारा (1) में सदर्भित यथोचित अधिकारी को और बंधपत्र अधिकारी को वेयरहाउस में आये ऐसे माल के बारे में पावती भिजवायेगा।

**13. अपने देश में ही खरीदे गये माल की प्राप्ति. -** (1) लाइसेंसी बंधपत्र अधिकारी की अनुपस्थिति में वेयरहाउस में न तो कोई माल स्वीकार करेगा और न ही उसको उतारे जाने की अनुमति देगा।

(2) बंधपत्र अधिकारी की अपने देश में ही खरीदे गये माल की प्राप्ति और अनुमति उतारे जाने की अनुमति के बाद लाइसेंसी माल को रिकॉर्ड में दर्ज करेगा।

**14. किसी वेयरहाउस से माल का अंतरण.-** (1) कोई भी लाइसेंसी वेयरहाउस से माल के अंतरण संबंधी फार्म में बंधपत्र अधिकारी को प्राप्त अनुमति के बिना, किसी माल को किसी वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में या किसी निर्यात कस्टम्स स्टेशन को अंतरण किये जाने की अनुमति नहीं देगा।

(2) किसी वेयर से माल को हटाने के लिए बंधपत्र अधिकारी की अनुमति मिल जाने पर लाइसेंसी बंधपत्र अधिकारी की उपस्थिति में:-

- (i) माल को हटाने और परिवहन के साधन में उसको लादे जाने की अनुमति देगा;
- (ii) परिवहन साधन में 'वन-टाइम-लॉक' लगायेगा;
- (iii) फार्म में 'वन-टाइम-लॉक' का क्रमांक दर्ज करेगा और उसकी एक प्रति अपने पास रखेगा;
- (iv) परिवहन कागजातों में 'वन-टाइम-लॉक' का क्रमांक दर्ज करेगा और उसकी एक प्रति अपने पास रखेगा;
- (v) माल को हटाये जाने का रिकॉर्ड रखेगा; और
- (vi) अपने पास रखे गये कागजातों की प्रति बंधपत्र अधिकारी को सौपेगा।

**15. परिणामी माल को घरेलू उपभोग के लिए हटाना.-** (1) लाइसेंसी घरेलू उपभोग के लिए परिणामी माल को ले जा सकता है:

बशर्ते कि घरेलू उपभोग संबंधी बिल आफ एन्ट्री में यह दर्ज हो कि वेयरहाउस में रखे गये माल में परिणामी माल कितना है और ऐसे माल से संबंधित आयात शुल्क, ब्याज, देय, दण्ड या शास्ति, यदि कोई हो, का भुगतान हो गया हो:

बशर्ते और भी कि बंधपत्र अधिकारी की अनुपस्थिति में माल को नहीं हटाया जाएगा।

(2) लाइसेंसी बिल आफ एन्ट्री की एक प्रति अपने पास रखेगा और हटाए गये माल का रिकॉर्ड रखेगा।

**16. परिणामी माल को निर्यात के लिए हटाना.-** (1) कोई भी लाइसेंसी निर्यात के लिए वेयरहाउस से परिणामी माल को निम्नलिखित आधार पर हटाएगा,-

- (i) शिपिंग बिल या बिल आफ एक्सपोर्ट, जैसी भी स्थिति हो, के भरे जाने के बाद;
- (ii) परिवहन के उस साधन के लोड कम्पार्टमेंट में 'वन-टाइम-लॉक' लगाने के बाद जिसमें ऐसे माल को वेयरहाउस से ले जाना हो:

बशर्ते कि लाइसेंसी बंधपत्र अधिकारी की उपस्थिति में माल के परिवहन के साधन पर लदवायेगा और उस परिवहन साधन पर 'वन-टाइम-लॉक' लगायेगा।

(2) लाइसेंसी ले जाये जाने वाले माल का रिकॉर्ड रखेगा।

**17. जो माल अभी आना है उससे संबंधित शर्तें.-** ऐसे माल का लाइसेंसी-

- (i) अधिनियम की धारा 60 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी आदेश के एक महीने के भीतर यथोचित अधिकारी को इस बात की पावती देगा कि ऐसे माल को वेयरहाउस में जमा करा दिया गया है;
- (ii) वेयरहाउस से ऐसे माल को ले जाये जाने की तारीख से एक महीने के भीतर वेयरहाउस के प्रभारी बंधपत्र अधिकारी को वह पावती देगा जिसे उस वेयरहाउस के लाइसेंसी के द्वारा जारी किया गया होगा जहां के लिए माल को ले जाया गया हो और उसमें यह बताएगा कि माल उस जगह पर पहुँच गया है।
- (iii) वेयरहाउस से माल को हटाये जाने की तारीख से एक माह के भीतर वेयरहाउस के प्रभारी बंधपत्र अधिकारी को ऐसी पावती देगा जो कि निर्यात कस्टम्स स्टेशन के यथोचित अधिकारी के द्वारा जारी की गयी हो, जिसमें यह बताना होगा कि माल उस स्थान पर पहुँच गया है, ऐसा न हो पाने पर, ऐसे माल का मालिक ऐसे माल पर लगने वाले संपूर्ण शुल्क और साथ ही साथ धारा 72 की उपधारा (1) के अंतर्गत इस पर देय ब्याज, दण्ड और शास्ति का भुगतान करेगा।

**18. वेयरहाउस में जमा माल से संबंधित कागजातों का रख-रखाव.-** (1) लाइसेंसी-

- (i) वेयरहाउस में या से आने वाले सामानों की प्राप्ति, उसकी देख-रेख, उसके भण्डारण और उसको वहां से ले जाने, जैसी भी स्थिति हो, से संबंधी सभी रिकॉर्ड्स को विस्तृत रूप से रखेगा और जहां और जब भी जरूरत पड़े उसे बंधपत्र अधिकारी के सामने प्रस्तुत करेगा;
- (ii) वेयरहाउस में रखे गये माल से संबंधित हर क्रिया-विधि, प्रचालन व की गई कार्रवाई का ब्यौरा रखेगा;
- (iii) इस अधिनियम या तत्समय लागू अन्य कानूनों के अंतर्गत, वेयरहाउस में रखे गये माल का लिये जाने वालों नमूनों का भी रिकॉर्ड रखेगा; और
- (iv) बिल आफ एन्ट्री, परिवहन संबंधी कागजातों, वेयरहाउस से माल के अंतरण से संबंधित फार्म, शिपिंग बिल्स और बिल आफ एक्सपोर्ट्स और अन्य कागजातों, जिनसे वेयरहाउस में माल के प्राप्त होने या उसे वहां से हटाए जाने के बारे में पता चले, और धारा 59 के अंतर्गत निष्पादित बंधपत्रों की प्रतियां रखेगा।

(2) इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सभी क्रियाकलापों को तत्काल रिकॉर्ड करना होगा। फार्म में विनिर्दिष्ट डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी रखना होगा। मैनुअल रिकॉर्ड्स के साथ-साथ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी अद्यतन, शुद्ध और परिपूर्ण रखना होगा और इनको वेयरहाउस में हमेशा उपलब्ध रखना चाहिए और सत्यापन के लिए बंधपत्र अधिकारी या अन्य के लिए इसे बंधपत्र अधिकारी या अन्य किसी भी अधिकारी के लिए सुलभ होना चाहिए।

(3) ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रख-रखाव के सॉफ्टवेयर भी बात को लेखा-परीक्षा के कार्यों में शामिल किया जाना चाहिए इसका तात्पर्य यह है कि इस प्रकार का एक सुरक्षित, कम्प्यूटर जनित, टाइम-स्टैम्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होना चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के सृजन, उसमें संशोधन या उसको मिटाए जाने की घटनाओं के क्रम को फिर से तैयार किया जा सके और इसमें रिकॉर्ड या सिस्टम्स के स्तर पर, के फार्म जैसे कि सिस्टम तक पहुँच, या रिकॉर्ड को मिटाने या उसमें संशोधन करने, जैसे कार्य भी आते हैं।

(4) उपविनियम (1) के अंतर्गत व्यवस्थित रखे जाने के लिए अपेक्षित रिकॉर्ड्स और बहीखातों को अद्यतन और शुद्ध रखा जाएगा और उसे वेयरहाउस से माल को हटाये जाने की तारीख से कम से कम पांच वर्ष की अवधि तक सुरक्षित रखा जाएगा और जब भी बंधपत्र अधिकारी या इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के द्वारा निरीक्षण किये जाने के लिए जरूरत पड़ेगी, उसे उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) लाइसेंसी उपविनियम (1) में विनिर्दिष्ट सभी रिकॉर्ड्स की अद्यतन डिजिटल प्रतियां वेयरहाउस से भिन्न अन्य जगह पर भी सुरक्षित रखेगा ताकि किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा, आग, चोरी या चालाकी से की जाने वाली चोरी या कम्प्यूटर के खराब हो जाने की स्थिति में इसको सुरक्षित प्राप्त किया जा सके।

(6) लाइसेंसी बंधपत्र अधिकारी के पास वेयरहाउस में रखे जाने वाले माल की प्राप्ति, भण्डारण, प्रकार्य और उसको वहां से हटाकर ले जाने से संबंधित मासिक विवरणी, ऐसी विवरणी, जिस माह से संबंधित हो उस माह की समाप्ति से 10 दिन की अवधि के भीतर, जमा करायेगा।

**19. लेखा-परीक्षा.-** यथोचित अधिकारी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और इसके तहत बनाये गये नियमों के अंतर्गत, धारा 65 के तहत काम करने वाली ईकाईयों की लेखा-परीक्षा करा सकता है।

**20. शास्ति.-** यदि कोई व्यक्ति इन विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, या ऐसे उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरित करता है, या इन विनियमों के किसी प्रावधान का अनुपाठन करने में असफल रहता है तो वह इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शास्ति का भागी होगा।

**21. छूट दिये जाने की शक्ति.-** बोर्ड ऐसे माल की प्रकृति, उसके परिवहन या भण्डारण के तरीके को देखते हुए ऐसे श्रेणी के माल को इस विनियमों के प्रावधानों से छूट दे सकता है।

फार्म (धारा 58 क के अंतर्गत लाइसेन्स प्राप्त वेयर हाउस के लिये)  
 (देखें; विनियम 2 के उप-विनियम (1) का उप-वाक्य (□)  
 भाग क  
 (प्रेषक वेयरहाउस के द्वारा भरा जाना है)

आयात का व्यौरा	वेयरहाउसिंग का व्यौरा		माल					हटाये जाने का उद्देश्य		माल के प्रेषण का व्यौरा			
	वेयरहाउस का कोड और पता	बंध-पत्र की संख्या और तारीख	माल का विवरण	पैकेजेस की संख्या और विवरण	पैकेजेस पर अंकित चिन्ह और संख्या	भार और मात्रा	मूल्य	दूसरे वेयरहाउस में जमा करना (वेयरहाउस कोड और पता लिखें)	आकाश या समुद्र या स्थल मार्ग से या डाक के माध्यम से निर्यात के लिये (कस्टम्स स्टेशन का व्यौरा दें।)	माल को हटाये जाने की तारीख और उसका समय	परिवहन के साधन का पंजीकरण और व्यौरा	कंटेनर संख्या (यदि लागू हो)	वन-टाइम-लाक संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

प्रेषक वेयरहाउस पर लाइसेन्सी या वेयरहाउस कीपर का हस्ताक्षर  
 तारीख:

प्रेषक वेयरहाउस पर बंध-पत्र अधिकारी का हस्ताक्षर  
 तारीख:

भाग ख  
(प्राप्तकर्ता द्वारा भरा जाना है)

माल की प्राप्ति का व्यौरा			अभ्युक्ति
वेयरहाउस या कस्टम्स स्टेशन पर प्राप्ति की तारीख	क्या परिवहन के साधन की पंजीकरण संख्या इस परेशान से मेल खा रही है	क्या वन-टाइम-लाक ठीक-ठाक पाया गया है?	
(1)	(2)	(3)	(4)

प्राप्ति वेयरहाउस पर लाइसेन्सी या वेयरहाउस कीपर का हस्ताक्षर, तारीख सहित  
या  
निर्यात सीमाशुल्क स्टेशन पर यथोचित अधिकारी का हस्ताक्षर, तारीख सहित